

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 16.11.2020

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-20 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया ।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01.थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. अजय कुमार वर्मा पुत्र स्व० देवीदीन नि० मंगरे पुरवा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 346 / 20, 02. ओम कुमार उर्फ गुड्डे पुत्र गोविन्द बरवार नि० दुल्हापुर बनकट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 347 / 20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत के अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

02. थाना करनैलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. सुरेश कुमार यादव पुत्र वासदेव यादव नि० परवान पुरवा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 472 / 20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

03. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. सत्येन्द्र गोस्वामी पुत्र राजित गोस्वामी नि० विसेन पुरवा मौजा खानपुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 359 / 20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

04. थाना खोडारे द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. मोती कश्यप पुत्र हीरा लाल नि० देवरिया मट्टो थाना खोडारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 288 / 20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

05. थाना को० नगर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. सलीम अहमद पुत्र हलीम उर्फ गूगू नि० मोहल्ला मेवतियान थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 880 / 20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

जुआ अधि० मे की गयी कार्यवाही-

गोण्डा। जनपद गोण्डा के विभिन्न थानों द्वारा जुआरियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 43 जुआरियों को पकड़ कर उनके कब्जे से रू० 24,840/- बरामद किया गया।

आर्म्स एक्ट में की गयी कार्यवाही-

थाना खरगपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

गोण्डा। सोमवार जनपद गोण्डा के थाना खरगपुर पुलिस ने गस्त के दौरान 01-01 अदद नाजायज चाकू के साथ 02 अभियुक्तों-01. दीप कुमार सोनी पुत्र अशोक कुमार नि० रस्तोगी मोहल्ला कस्बा व थाना खरगपुर जनपद गोण्डा, 02. अंकुश अग्रवाल पुत्र सोहन लाल नि० दर्जी पूर्वी कस्बा थाना खरगपुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर मु०अ०सं०-256/20, 257/20, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

थाना को० नगर द्वारा की गयी कार्यवाही-

गोण्डा। सोमवार जनपद गोण्डा के थाना को० नगर पुलिस ने गस्त के दौरान 01 अदद नाजायज चाकू के साथ अभियुक्त शुभम दुबे पुत्र स्व० विजय भान दूबे नि० मालवीय नगर थाना को० नगर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर मु०अ०सं०-879/20, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

आत्महत्या के लिये प्रेरित करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा। सोमवार जनपद गोण्डा के थाना कौड़िया पुलिस ने आत्महत्या के लिये प्रेरित करने के आरोपी अभियुक्त- ओमप्रकाश उर्फ मिस्टर पुत्र महाराजदीन नि० पूरेबदल थाना कौड़िया जनपद गोण्डा को थाना कौड़िया में पंजीकृत मु०अ०सं०- 212 / 20, धारा 306 भादवि० के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने वादिनी सुखरानी पत्नी सुखराम नि० पूरेबदल बरईपुरवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा की लड़की के साथ अभद्र व्यवहार कर प्रताड़ित करते हुए आत्महत्या के लिये प्रेरित किया था। जिससे वादी की पुत्री प्रताड़ना से तंग आकर दिनांक 14.11.2020 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जिसके संबंध में पीड़िता की मां द्वारा थाना कौड़िया में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें कौड़िया पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर रामापुर के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

जानलेवा हमला करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा । सोमवार जनपद गोण्डा के थाना उमरीबेगमगंज पुलिस ने जानलेवा हमला करने के आरोपी अभियुक्त गुलाब दत्त मिश्रा पुत्र गिरीश दत्त मिश्रा नि० छोटी मिश्रपुरवा मौजा गंगरौली थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा को थाना उमरीबेगमगंज में पंजीकृत मु०अ०सं०- 250 / 20, धारा 307.323.504.506 भादवि० के तहत गिरफ्तार कर लिया गया ।

उक्त अभियुक्त ने दिनांक 14.11.2020 को वादिनी श्रीमती पूनम देवी पत्नी रामदत्त मिश्रा नि० छोटका मिश्रपुरवा मौजा गंगरौली थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा व पति को पैसो के लेनदेन को लेकर लाठी डण्डे से मारापीटा व पति के ऊपर चाकू से जानलेवा हमला किया था । जिससे वादिनी के पति गंभीर रूप से घायल हो गये थे जिसके संबंध में वादिनी द्वारा थाना उमरीबेगमगंज में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था । जिसमें उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय स्वाना कर दिया गया ।